



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी

दिनांक 17.11.2025

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 155/25 धारा 331(4)/305 बी०एन०एस० का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से ट्यूबवेलों एवं ट्रांसफार्मर से चोरी किए हुए 50 किलो ग्राम विद्युत ट्रांसफार्मर की एल्युमीनियम की कोयल व प्लेटें, 01 चैंज लीवर, 02 लच्छी केबिल, 18 कटआउट, 02 स्टार्टर, केबिल करीब 8 मीटर, 01 सफेद तार करीब 3 मीटर व तांबे के तार का एक गुच्छा बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.11.2025 को थाना बालैनी पर वादी श्री राजकुमार पुत्र लक्ष्मी सहाय गांव मुकारी थाना बालैनी जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा ग्राम मुकारी के जंगल से वादी व 03 अन्य ग्रामवासियों के ट्यूबवेलों से समरसेबिल का केबल व स्टार्टर आदि



बिजली का सामान चोरी कर लिया है। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु०अ०सं० 155/25 धारा 331(4)/305 बी०एन०एस० पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 155/25 धारा 331(4)/305 बी०एन०एस० का सफल अनावरण करते हुए 01 शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से ट्यूबवेलों एवं ट्रांसफार्मर से चोरी किए हुए 50 किलो ग्राम विद्युत ट्रांसफार्मर की एल्युमीनियम

की कोयल व प्लेटें, 01 चैंज लीवर, 02 लच्छी केबिल, 18 कटआउट, 02 स्टार्टर, केबिल करीब 8 मीटर, 01 सफेद तार करीब 3 मीटर व तांबे के तार का एक गुच्छा बरामद हुआ हैं।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना बालैनी पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट- उक्त अभियोग में बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) की बढोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अंकित पुत्र श्यौराज नि0 ग्राम भनेडा थाना निवाडी जिला गाजियाबाद।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त अंकित ने पूछताछ पर बताया कि मैं और मेरा साथी सोनू पुत्र लोकेश निवासी गली नं0 1 संजयपुरी कालोनी निकट जीडीए फ्लैट कस्बा व थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद दोनों मिलकर ट्रांसफार्मर के अन्दर की एल्युमिनियम की कोयल व उपकरण तथा ट्यूबवैलों का ताला तोड़कर स्टार्टर व समरसेबिल का केबिल तथा कटआउट चोरी कर लेते हैं और उन्हें बेचकर अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं हमने पुरा महादेव गांव व चोर मउ के पास जंगलों से दिनांक 2/3 नवम्बर की रात्रि में दो ट्रांसफार्मरों को खोलकर उसके अन्दर का एल्युमिनियम का सामान चोरी किया था तथा दिनांक 8/9.11.25 का रात में ग्राम मुकारी के जंगलो में 04 ट्यूबवैलों से केबिल व स्टार्टर व कटआउट चोरी किये थे। इसके अलावा थाना चांदीनगर के ग्राम मंसूरपुर से दिनांक 9/10.11.25 की रात में तीन ट्यूबवैलों से केबिल व स्टार्टर चोरी किया था। तथा इससे पहले दिनांक 02.10.2025 को ग्राम ढिकोली के जंगलों से 6 ट्यूबवैलों से केबिल व स्टार्टर व कटआउट चोरी किये थे। आज हम दोनों चोरी किये हुए सामान को पिकअप में भरकर ले जाने वाले थे कि पुलिस ने मुझे पकड लिया और मेरा साथी सोनू लोगों की आवाजाही होने व पुलिस की भनक लगने पर पिकअप लेकर वापस लौट गया।

गिरफ्तार अभियुक्त अंकित का आपराधिक इतिहास:-

- 1-मु0अ0सं0 102/24 धारा 307,414 भादवि0 व 3/25/27 थाना मवाना जनपद मेरठा
- 2-मु0अ0सं0 122/20 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद।
- 3-मु0अ0सं0 147/20 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद।
- 4-मु0अ0सं0 54/24 धारा 379 भादवि थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद।
- 5-मु0अ0सं0 114/20 धारा 379,411,427 भादवि, 136 विद्युत अधि0 थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।
- 6-मु0अ0सं0 132/20 धारा 136,137 विद्युत अधि0 थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद।

- 7-मु0अ0सं0 154/20 धारा 379,411,427 भादवि व 136 विद्युत अधि0 थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ।
- 8-मु0अ0सं0 223/20 धारा 379,411,427 भादवि व 136 विद्युत अधि0 थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ।
- 9-मु0अ0सं0 248/20 धारा 136,137 विद्युत अधि0 थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ।
- 10-मु0अ0सं0 317/20 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ।
- 11-मु0अ0सं0 351/20 धारा धारा 379,411,427 भादवि व 136 विद्युत अधि0 थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ।
- 12-मु0अ0सं0 354/20 धारा धारा 379,411,427 भादवि व 136 विद्युत अधि0 थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ।
- 13-मु0अ0सं0 371/20 धारा धारा 379,411,427 भादवि व 136 विद्युत अधि0 थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ।
- 14-मु0अ0सं0 694/20 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ।
- 15-मु0अ0सं0 112/20 धारा 136,137 विद्युत अधि0 थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद ।
- 16-मु0अ0सं0 117/20 धारा 136,137 विद्युत अधि0 थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद ।
- 17-मु0अ0सं0 157/20 धारा 136,137 विद्युत अधि0 थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद ।
- 18-मु0अ0सं0 210/20 धारा 136,137 विद्युत अधि0 थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद ।
- 19-मु0अ0सं0 69/20 धारा 136(1)(सी), 137 विद्युत अधि0 थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद ।
- 20-मु0अ0सं0 74/20 धारा 136(1)(सी), 137 विद्युत अधि0 थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद ।
- 21- मु0अ0सं0 75/20 धारा 136(1)(सी), 137 विद्युत अधि0 थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद ।
- 22-मु0अ0सं0 98/20 धारा 136(1)(सी), 137 विद्युत अधि0 थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद ।
- 23-मु0अ0सं0 161/20 धारा 136(1)(सी), 137 विद्युत अधि0 थाना निवाडी जनपद गाजियाबाद ।
- 24-मु0अ0सं0 2470/22 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना एन्टी पावर थैफ्ट जनपद गौतमबुद्ध नगर ।
- 25-मु0अ0सं0 3768/22 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना एन्टी पावर थैफ्ट जनपद गौतमबुद्ध नगर ।
- 26-मु0अ0सं0 3967/22 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना एन्टी पावर थैफ्ट जनपद गौतमबुद्ध नगर ।
- 27-मु0अ0सं0 2143/23 धारा 136 विद्युत अधि0 थाना एन्टी पावर थैफ्ट जनपद गौतमबुद्ध नगर ।

बरामदगी का विवरण-

- ट्यूबवेलों एवं ट्रांसफार्मर से चोरी किए हुए 50 किलो ग्राम विद्युत ट्रांसफार्मर की एल्युमीनियम की कोयल व प्लेटें ।
- 01 चैंज लीवर ।
- 02 लच्छी केबिल ।
- 18 कटआउट ।
- 02 स्टार्टर ।
- केबिल करीब 8 मीटर ।
- 01 सफेद तार करीब 3 मीटर ।
- तांबे के तार का एक गुच्छा ।

अभियुक्त अंकित के कब्जे से बरामद सामान 1-मु0अ0सं0 155/2025 धारा 331(4)/305 बीएनएस थाना बालैनी जनपद बागपत, 2-मु0अ0सं0 166/2025 धारा 303(2) बीएनएस थाना चांदीनगर जनपद बागपत, 3-मु0अ0सं0 195/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 थाना चांदीनगर जनपद बागपत, 4-मु0अ0सं0 1664/25 धारा 136 विद्युत अधिनियम थाना एन्टी पावर थेफ्ट बागपत से संबंधित होना पाया गया है ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री शिवदत्त थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री नन्द किशोर थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री रमेश चन्द थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 4-उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 5-उ0नि0 श्री सोनू सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 6-का0 368 पवन कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 17.11.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 383/25 धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्ता सहित अन्य 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन व 01 किताब बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 383/25 धारा



3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम में वांछित 02 अभियुक्ता सहित अन्य 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 03 मोबाइल फोन व 01 किताब बरामद हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-रोहित पुत्र राकेश निवासी छोटा गोविन्दपुर थाना गोविन्दपुर जिला जमशेदपुर झारखण्ड ।

2- 02 महिला

पूछताछ विवरण- अभियुक्तों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि दिनांक 16.11.2025 को हम तीनों व्यक्ति ग्राम खिंदौड़ा में एकत्रित हुई भीड़ को धनराशि का प्रलोभन देकर ईसाई धर्म में धर्मांतरण हेतु प्रचार-प्रसार कर रहे थे, तभी आपके द्वारा हमें गिरफ्तार कर लिया गया।

बरामदगी का विवरण –

- 03 मोबाइल फोन।
- 01 किताब।

गिरफ्तार अभियुक्त रोहित का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0 47/19 धारा 379/411 भादवि थाना गोविन्दपुर जिला जमशेदपुर झारखण्ड।

2-मु0अ0सं0 383/25 धारा 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

2-उ0नि0 दलजीत सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

3-म0उ0नि0 गायत्री थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

4-म0का0 521 मीनू थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।